तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
11/5/2020	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पक्षरित है~~ अतः पत्रावली दिनांक 13/7/2020 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
13/7/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पक्षरित है~~ अतः पत्रावली दिनांक 7/9/20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
7/9/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पक्षरित है अतः पत्रावली दिनांक 27/9/2020 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
27/9/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पक्षरित है~~ अतः पत्रावली दिनांक 8/12/2020 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
8/12/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~राजकीय~~ उपाय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पक्षरित है~~ अतः पत्रावली दिनांक 2/2/2021 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
2/2/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील विपक्षी सं० 1, 4 से 9 उपस्थित नहीं। विपक्षी सं० 1, 4 से 9 स्वयं भी उपस्थित नहीं। कई बार आवाजें लगवाई गई किन्तु उनके उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश [illegible] है तथा साथ जवाब [illegible] किया जाता है। [illegible] प्रार्थीगण के [illegible] को बहस एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण

उपखंड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

प्र०क्र० 64/19 अ०-पंच

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
छट्टू बनाम सुखगुल (?)	
ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की क्रम क० नं० 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने-अपने हकहिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की पारा 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी कित्ता 17 कुल रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा का मिस्ल एवं बन्दोबस्त से विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षी सं० 1 बिना विभाजन हुये उक्त आराजियात में अवैध कार्य करने पर उतारू है जेसीबी से नींव खोद कर अवैध कार्य निर्माण हेतु सामग्री एकत्र कर उक्त आराजियात को नुकसान पहुंचा रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पर बिना विभाजन, प्रार्थीगण की रजामन्दी के निर्माण करने का विपक्षी सं० 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को विभाजन हेतु कहने पर इन्कार हो गये। विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त आराजियात को बिना विभाजन [illegible] है [illegible] लोगों को विक्रय, रहन, बय, [illegible] तथा उसमें अवैध [illegible] प्रार्थीगण को [illegible] शुदा शामलाती आराजियात से बेदखल कर देगा। इसी वजह से प्रार्थीगण को उक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	वाद बाबत विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की नौबत आई जिससे निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। बिना विभाजन के विपक्षी सं० 1 शामलाती आराजियात से प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे, अकृषि कार्य हेतु निर्माण कर देने से अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में संभव नहीं है। इस प्रकार तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र की चरण सं० 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात का जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक विपक्षीगण विवादित आराजियात या उसके किसी भी भूभाग को अन्य व्यक्तियों को विक्रय, रहन, दान, बख्शीस द्वारा अंतरित नहीं करे न ही उसमें अकृषि कार्य हेतु कोई निर्माण कार्य नहीं करे एवं जबरन प्रार्थीगण को उसकी आराजियात से बेदखल नहीं करे व न करावें शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इस बाबत विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया [illegible] पत्रावली [illegible] दोनों पक्षों [illegible] मनन किया, पत्रावली का अवलोकन करने उपरांत पाया कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण 64/19 धा० 41

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लच्छु गुर्जर बनाम सुवा गुर्जर वगै०	

पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र की चरण सं० 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात का बिना विभाजन कराये विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात या उसके किसी भी भूभाग को अन्य व्यक्तियों को विक्रय, रहन, बख्शीश द्वारा अंतरित नहीं करे न ही उसमें अकृषि कार्य हेतु कोई निर्माण कार्य करे एवं कोई नुकसान नहीं पहुंचावें। प्रार्थीगण को उनकी आराजियात से बेदखल नहीं करे व न करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से खारिज होवे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा